तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्ब अहक हुक्म में जारी
15/6/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। आदेश बोलकर लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसील जावे तो पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे पत्रावली निर्णीत सुनाकर होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:48 IST
Reason: SelfAttested

अहकाम हुक्म को मैं जारी हुआ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 19/2021

प्रार्थीगण :–

1. ईशराराम वल्द नीम्बाराम
   कौम जाट निवासी गादेवी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पुरखाराम वल्द वीरमाराम
2. मोडाराम वल्द लिछमणाराम
3. रूगाराम वल्द मानाराम
4. रावताराम वल्द पूराराम
5. मूलाराम वल्द दमा
6. भोमाराम वल्द दमाराम
7. बाबूराम वल्द दमाराम
8. चेतनराम वल्द धूडाराम
9. गंगाराम वल्द धूडाराम
   कौम जाट निवासी के.के मूढणसर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
10. भैराराम वल्द चिमनाराम
11. गोमाराम वल्द रामाराम
12. देवाराम वल्द चेनाराम
13. भेराराम वल्द चिमनाराम
    कौम जाट साकिन गादेवी तहसील गुड़ामालानी
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 14/06/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–2074 (2078) से स्थायी सरहद मौजा जे.के. मूढणसर पटवार हल्का [illegible] के खेत [illegible] 805/2 रकबा 5.6170 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें [illegible] का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि [illegible] पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक [illegible] तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो ज[illegible] है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी